राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 2436/2007/भीलवाड़ा.

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड–प्रथम, वृत–'बी', उदयपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स ग्लोब ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, भीलवाड़ा. .....प्रत्यर्थी.

2. प्रत्याक्षेप संख्या – 651/2008/भीलवाड़ा.

मैसर्स ग्लोब ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, भीलवाड़ा. .....प्रार्थी.

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड–प्रथम, वृत–'बी', उदयपुर. .....अप्रार्थी.

एकलपीठ
श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :
श्री आर. के. अजमेरा,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी राजस्व की ओर से.
प्रत्यर्थी अनुपस्थित

दिनांक : 15/01/2018

निर्णय

1. यह अपील व क्रॉस ऑब्जेक्शन उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, उदयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 49/आरएसटी/06–07 में पारित किये गये आदेश दिनांक 23.06.2007 के विरूद्ध प्रस्तुत किये गये हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड–प्रथम, वृत–बी, उदयपुर (जिसे आगे **'सक्षम अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 76(6) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 27.10.2006 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए आरोपित शास्ति व वैट को अपास्त किया है। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा भी राजस्व की अपील के विरूद्ध क्रॉस ऑब्जेक्शन्स प्रस्तुत किये गये हैं।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 14.10.2006 को नेशनल हाईवे संख्या–8, रतनपुर–उदयपुर मार्ग पर वाहन संख्या आर.जे.06–3984 को चैक किया जाने पर में वाहन में 'ग्रे क्लॉथ' तारापुर से भीलवाड़ा के लिये परिवहनित किया जाना पाया गया। वाहन चालक द्वारा माल से सम्बन्धित कुल 19 बिल्टियां प्रस्तुत की गयी, जिनमें से केवल 8 बिल्टियों के साथ चालान/बिल पेश किये गये, शेष 11 बिल्टियों के साथ कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया। इस पर सक्षम अधिकारी द्वारा माल परिवहन में वेट अधिनियम की धारा 76(2)(बी) का उल्लंघन किया जाना मानते हुए धारा

लगातार.....2

76(6) के तहत शास्ति रूपये 3,12,470/– एवं वैट रूपये 1,30,196/– कुल रूपये 4,42,666/– का आरोपण आदेश दिनांक 27.10.2006 से किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपील, अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.06.2007 से इस आधार पर स्वीकार की गयी कि परिवहनित माल करमुक्त माल होने से इसमें किसी प्रकार की करापवंचन की मंशा नहीं थी। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी राजस्व द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. बावजूद सूचना प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

4. बहस के दौरान विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने सक्षम अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए राजस्व की अपील स्वीकार किये जाने पर बल दिया।

5. विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक की एकपक्षीय बहस पर मनन किया गया तथा अपीलीय अधिकारी व कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों का अध्ययन किया गया।

6. हस्तगत प्रकरण में विवाद का बिन्दु केवलमात्र यह है कि वक्त जांच परिवहनित माल 'ग्रे क्लॉथ' कर योग्य माल था अथवा करमुक्त। इस सम्बन्ध में अपीलीय अधिकारी द्वारा विस्तृत विवेचन करते हुए निर्णीत किया गया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **कमिश्नर ऑफ सेन्ट्रल एक्साईज बनाम राजीव टैक्सटाईल्स इण्डस्ट्रीज (2005) 3 वैट रिपोर्टर 309** में ग्रे कॉटन केनवास क्लॉथ व ग्रे कॉटन फेब्रिक्स को कॉटन फेब्रिक अवधारित किया गया है एवं अधिसूचना संख्या 11/2006–सेन्ट्रल एक्साईज दिनांक 01.03.2006 से ग्रे क्लॉथ को हटा दिया गया है। इसी प्रकार वेट अधिनियम के तहत भी फेब्रिक एवं टैक्सटाईल को करमुक्त घोषित किया गया है। इस प्रकार ग्रे क्लॉथ को करमुक्त घोषित किये जाने के कारण अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण में किसी प्रकार की करापवंचन कारित नहीं होना अवधारित करते हुए प्रत्यर्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार की गयी है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना नहीं पाया जाता है। करमुक्त माल पर शास्ति का आरोपण विधिसम्मत नहीं होने से अपीलीय आदेश की पुष्टि की जाती है।

7. परिणामस्वरूप अपीलार्थी राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील बलहीन होने से खारिज की जाती है। साथ ही प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत क्रॉस ऑब्जेक्शन भी अप्रासांगिक होने से अस्वीकार किये जाते हैं।

8. निर्णय सुनाया गया।

(के. एल. जैन)
सदस्य